एक मुश्त समाधान योजना का ऋण के बकायेदार उठाये लाभ, एक मुश्त समाधान योजना की अन्तिम तिथि 31 मई तक बढ़ायी गयी

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एन0एन0 द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ (ओ0टी0सी0) लागू करते हुये लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते हुये ऋण जमा करने की निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह जारी स्थिति हो) तक का ही साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय धनराशि एकमुश्त जमा कराकर खाता बन्द किये जाने के योजना की समय सीमा दिनांक 10 जनवरी 2019 से 31 मई 2019 तक बढ़ा दी गयी है। उन्होने यह भी बताया है कि जिन प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनमें भी नवीन एवं एक मुश्त समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में ऐसे बकायेदार जो एक मुश्त धनराशि जमा कर योजना का लाभ लेना चाहते है उनकी संशोधित धनराशि की गणना कराकर जमा कराया जाना है। इस क्रम में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी विभाग द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बकायेदारों को संग्रह अमीनों के माध्यम से योजना के लाभ दिलाया जाये।

———————————————

जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित